न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या : 19/2022

तारीख दायर : 01.02.2022

अनवान

01 रघुनाथ पिता मोडा जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।

..........प्रार्थी

बनाम

01 बालु पुत्र रामलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीखेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।

02 भूरा पुत्र श्रीलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीखेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।

03 मदनलाल पुत्र उदा जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीखेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।

04 मांगीलाल पुत्र गिरधारी जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीखेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।

05 रमेशचन्द्र पुत्र छीतरलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीखेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।

06 देबीलाल पुत्र बालु जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीखेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।

07 प्रेमचन्द पुत्र उदा जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीखेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.... विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0ले0रे0एक्ट

– : आदेश : –

निर्णय दिनांक 23.02.2022

प्रार्थना पत्र प्रार्थी श्री रघुनाथ पिता मोडा जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0) ने जरिये अभिभाषक श्री मुकेश कुमार धाकड़ प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम खेराड़ियां पटवार हल्का लक्ष्मीखेड़ा तहसील बिजौलियां में आराजी नं0 323, 324 कुल रकबा 0.3075 हैक्टेयर भूमि स्थित है। विपक्ष आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा फिसाद करते है। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावें। साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथ पत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 के अवलोकन से प्रार्थी श्री रघुनाथ पिता मोडा जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0) वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पडोसीयान के विवाद करने बाबत् शपथ पत्र संलग्न है पत्थरगढी से किसी स्वत्व पर कोई विपरित प्रभाव नही पडता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम खेराड़ियां पटवार हल्का लक्ष्मीखेड़ा तहसील बिजौलियां में आराजी नं0 323, 324 कुल रकबा 0.3075 हैक्टेयर भूमि की बशामलात पडोसीयान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावें। भू0अ0नि0 बिजौलियां कलां को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। फीस 500/–रू. प्रार्थी अदा करेगा।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हों।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जि.-भीलवाड़ा